वादी रामवीर सहित एवं महेश, रामदास तथा कमलाबाई की ओर से अधिवक्ता श्री केशवसिंह गुर्जर उपस्थित। वादी कमांक 4 मृत के संबंध में वाद का उपशमन हो चुका है।

प्रतिवादी कृमांक 1 के वारिसान की ओर से अधिवक्ता श्री जी०एस० निगम उप०।

प्रतिवादी क्रमांक ३ मृत।

प्रतिवादी क्रमांक २,४,५ पूर्व से एकपक्षीय।

प्रकरण आज वादी रामवीर की उप0 एवं शेष वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 23 नियम 1 सीपीसी पर विचार हेत् नियत है।

आज दिनांक को वादी रामवीर उप0। वादी रामवीर द्वारा आवेदन आदेश 23 नियम 1 सीपीसी प्रसतुत कर वाद वापिस लेने के आधार पर समाप्त किए जाने का निवेदन किया गया।

जक्त आवेदन के संबंध में आज दिनांक को वादी रामवीर के कथन अंकित किए गए।

यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में वादी महेश, रामदास एवं कमलाबाई द्वारा भी प्रस्तुत वाद वापिस लिए जाने हेतु आवेदन आदेश 23 नियम 1 सीपीसी प्रस्तुत किया गया है।

दोनों आवेदन एक ही स्वरूप के होने के कारण दोनों का निराकरण एकसाथ किया जा रहा है।

उक्त दोनों आवेदनों पर विचार किया गया।

प्रकरण में वादीगण द्वारा आवेदन आदेश 23 नियम 1 सीपीसी प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि विवादित जगह के संबंध में उनका प्रतिवादीगण से कोई विवाद नहीं बचा है अतः वह वाद आगे नहीं चलाना चाहते हैं एवं वाद वापिस लेना चाहते हैं। उक्त आवेदन के संबंध में वादी महेश, रामदास, कमलाबाई एवं रामवीर के कथन भी अंकित किए गए। वादीगण ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में भी यह व्यक्त किया है कि उनका प्रतिवादीगण से कोई विवाद नहीं रह गया है एवं वह वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं।

प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा भी उक्त संबंध में कोई आपित्त प्रकट नहीं की गयी है।

चूंकि वादीगण प्रस्तुत वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं एवं वाद वापिस लेना चाहते हैं अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 23 नियम 1 सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवं वादीगण को वाद वापिस लेने की अनुमित प्रदान की जाती है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद वापिस लिए जाने के आधार पर प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है।

प्रकरण में व्यय तालिका बनाई जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) ए.सी.जे.–1 गोहद

ALINE ALINE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR

खासिकारी जातिकारी स्वासिकारी जातिकारी असिकारी असिकारी जातिकारी असिकारी जातिकारी जात